क्रम-संख्या 162 (ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 20 मई, 2009
बैशाख 30, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग—1

संख्या 352/छः-पु-01—09-115-2008
लखनऊ, 20 मई, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०—24

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सामान्य संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में शब्द "नागरिक पुलिस" शीर्षक और पार्श्व शीर्षक सहित, जहाँ कहीं आए हों के स्थान पर शब्द "पुलिस" रख दिया जाएगा।

नियम 3 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नियम 3 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य नागरिक पुलिस में आरक्षी के पद के लिये पुलिस अधीक्षक से है और अन्य पदों के लिये पुलिस उप महानिरीक्षक से है;	(ख) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य सेवा में आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के लिये पुलिस अधीक्षक से है,

नियम 5 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में नियम 5 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–	5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–
(1) आरक्षी – आरक्षी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।	(1) आरक्षी – आरक्षी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।
सेवा काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जायेगी।	सेवा काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जायेगी।
(2) मुख्य आरक्षी – मुख्य आरक्षी के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती पात्र आरक्षियों के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा एवं 50 प्रतिशत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी।	(2) मुख्य आरक्षी – मुख्य आरक्षी के 50 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती पात्र आरक्षियों के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा एवं 50 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

नियम 6 का संशोधन

5–उक्त नियमावली में नियम 6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6–अनुसूचित जातियों–अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।	6–अनुसूचित जातियों- अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा। परन्तु शारीरिक रूप से विकलांग पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

6–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :– नियम 9 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–
(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या	(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या
	(3) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

7–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :– नियम 14 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जानें वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना बोर्ड को देगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिसूचित की जायेंगी :–	14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना बोर्ड को देगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिसूचित की जायेगी :–
(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके ;	(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके ;
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।	(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।
(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।	(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।
	(चार) जनसंचार के अन्य माध्यम से।

8–उक्त नियमावली में नियम–15 में स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड–(क) और (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :– नियम 15 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) आवेदन पत्र	(क) आवेदन पत्र
(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है।	(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है।
(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जाएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिये न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ. एम.आर. पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी।	(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जाएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिये न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ.एम.आर. पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी।
(तीन) आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ. एम.आर. पत्रक पर होगा।	(तीन) आवेदन पत्र ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा।
(चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिये आवेदन पत्र में स्थान होगा।	(चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिये आवेदन पत्र में स्थान होगा।
(पॉच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर होगा।	(पॉच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर होगा।
(छः) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंको/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर कय किया जा सकेगा।	(छः) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंको/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर कय किया जा सकेगा।
(सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिये।	(सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिये।
समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिए जहाँ से वे कय किये गये हैं।	समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिए जहाँ से वे कय किये गये हैं।

स्तम्भ–1

विद्यमान खण्ड

(ख) बुलावा पत्र

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जाएंगे जहां से आवेदन पत्र क्रय किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/ डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ख) बुलावा पत्र

बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जाएंगे जहां से आवेदन पत्र क्रय किये गये हों। बोर्ड सम्यक रूप से विचार विमर्श के पश्चात बुलावा पत्र भेजने के किन्हीं अन्य समुचित साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/ डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा।

9. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :- नियम 17 का संशोधन

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

17. मुख्य आरक्षी पद पर नियुक्ति पात्र आरक्षियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से की जायेगी :-

(क) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएगी। केवल ऐसे आरक्षी जिनकी आयु 40 वर्ष पूर्ण न हुयी हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

17–मुख्य आरक्षी पद पर नियुक्ति पात्र आरक्षियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से की जायेगी :-

(क) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएगी। केवल ऐसे आरक्षी जिनकी परिवीक्षा अवधि को छोड़कर न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी हो और जिनकी 40 वर्ष की आयु पूर्ण न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) पदोन्नति के लिए तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जाएंगी। विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट–5 में और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से परिशिष्ट–6 में दी गयी है।	(ख) पदोन्नति के लिए तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जाएंगी। विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट–5 में और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से परिशिष्ट–6 में दी गयी है।

नियम 20 का संशोधन

10–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम
20-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो , प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	20-(1) सेवा मे किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो , प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

11—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये नियम–24 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात :— नियम 24 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) फन्डामेन्टल रूल्स मे किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनबृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो और प्रशिक्षण जहां विहित हो पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन बृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो।	(1) फन्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनबृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो और प्रशिक्षण जहां विहित हो पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन बृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो :
परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।	परन्तु यदि संतोषजनक परिवीक्षा अवधि में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।
(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:	(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:
परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।	परन्तु यदि संतोषजनक परिवीक्षा अवधि में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।
	(3) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जो पहले से स्थायी सेवा में हो, के वेतन का विनियमन, राज्य के मामलों में सेवारत सामान्यतः सरकारी सेवकों हेतु लागू सुसंगत नियमों द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट का संशोधन

9--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ--1 में दिये गये परिशिष्ट-1 के स्थान पर स्तम्भ--2 दिया गया परिशिष्ट--1 रखा जाएगा, अर्थात :--

स्तम्भ--1
विद्यमान परिशिष्ट--1

शारीरिक मानक परीक्षण

पुरूष और महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं :--

पुरूष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक--

ऊँचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर,

(2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर :

सीने का फुलाव

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिये फुलाने पर 84 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजातियों के लिये 82 सेंटीमीटर

टिप्पणी :-- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है

2. महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक --

ऊँचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर है।

(2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर है।

वजन

45 से 58 किलोग्राम

3. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त सुस्पष्टता से प्रदर्शित किया जाय।

स्तम्भ--2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट--1

शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिस निम्नलिखित सदस्य होंगे --

1--परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर

2--चिकित्सक/कोषाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी

3--पुलिस उपाधीक्षक

पुरूष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरि मानक--

ऊँचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों औ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 सेंटीमीटर,

(2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लि न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर,

सीने का फुलाव

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिये फुलाने पर 8 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजातियों के लिये 8 सेंटीमीटर

टिप्पणी : न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुला अनिवार्य है

2.- महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनत शारीरिक मानक --

ऊँचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों औ अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर है।

(2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर है।

वजन

45 से 58 किलोग्राम

3. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां क भी परीक्षण आयोजित हो वहां परीक्षा आयोज के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षा हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मान को अत्यंत सुस्पष्टता से प्रदर्शित किया जाय।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट–1	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट–1
4. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किन्तु गठित किए गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।	4. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन मे अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नही होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किन्तु गठित किए गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।
5. दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।	5. दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।
6. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जाएगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।	6. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जाएगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।
7. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	7. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

12–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जाएगा, अर्थात :– परिशिष्ट–5 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–5–क– विषय/अंकों को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जायेगा :–	परिशिष्ट–5–क विषयों/अंकों का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :–

स्तम्भ–1:

क्रमांक	विषय	अंक
1	बुद्धि शक्ति/तर्क शक्ति/मानसिक अभिरुचि परीक्षण (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50 अंक

स्तम्भ–2:

क्रमांक	विषय	अंक
1	बुद्धि शक्ति/तर्क शक्ति/मानसिक अभिरुचि परीक्षण (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50 अंक

स्तम्भ—1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट-5-क--विषय/अंकों को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जायेगा :--	परिशिष्ट-5-क--विषयों/अंकों का अवधारण निम्नलिखित रीति किया जाएगा :--

क्रमांक	विषय	अंक	क्रमांक	विषय	अंक
2	भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रकिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस मैनुअल आदि को सम्मिलित करते हुये आधार भूत विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया। (प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50 अंक	2	भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रकिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस मैनुअल आदि को सम्मिलित करते हुये आधार भूत विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया। (प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50 अंक
3	निबंध (पुलिस विषयों से सम्बन्धित यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट-15 अंक, वाद का अध्ययन-20 अंक, विवेचना-15 अंक)	50 अंक	3	निबंध (पुलिस विषयों से सम्बन्धित यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट-15 अंक, वाद का अध्ययन-20 अंक, विवेचना-15 अंक)	50 अंक अर्हकारी
4	सेवा अभिलेख	50 अंक जिसमें से अधिकतम 30 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिए, 15 अंक प्रशिक्षण के लिए और 05 अंक पुरस्कार/ विशेष प्रविष्टि के लिए। प्रशिक्षण के अंक इस प्रकार विभाजित हैं कि प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये पांच अंक जो अधिकतम 10 हो सकते हैं और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 01 अंक जो अधिकतम 05 हो सकते हैं। पुलिस संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को प्राधिकृत किया जाता है कि वह मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करें, जिसमें यह शर्त होगी कि एक मास से कम का कोई भी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा। अग्रतर प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक अति लघु दण्ड	4	सेवा अभिलेख	50 अंक जिसमें से अधिकतम 30 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिए, 15 अंक प्रशिक्षण के लिए और 05 अंक पुरस्कार/ विशेष प्रविष्टि के लिए। प्रशिक्षण के अंक इस प्रकार विभाजित हैं कि प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये पांच अंक जो अधिकतम 10 हो सकते हैं, और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 01 अंक जो अधिकतम 05 हो सकते हैं। पुलिस संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को प्राधिकृत किया जाता है कि वह मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करें, जिसमें यह शर्त होगी कि एक मास से कम का कोई भी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा। अग्रतर प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि

स्तम्भ—1			स्तम्भ—2		
विद्यमान परिशिष्ट			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट		
परिशिष्ट-5-क— विषय/अंकों को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जायेगा			परिशिष्ट-5-क–विषयों/अंकों का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :-		
क्रमांक	विषय	अंक	क्रमांक	विषय	अंक
		के लिए 01 अंक उपर्युक्त अंकों में से घटा दिया जाएगा। यह देखने के लिए सेवा अभिलेख का भी अवश्य विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया था जो उसकी प्रोन्नति को अनुचित ठहराता है।			और/या अति लघु दण्ड के लिए 01 अंक उपर्युक्त अंकों में से घटा दिया जाएगा। यह देखने के लिए सेवा अभिलेख का भी अवश्य विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया था जो उसकी प्रोन्नति को अनुचित ठहराता है।
ख—	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और शारीरिक दक्षता परीक्षण		ख—	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और शारीरिक दक्षता परीक्षण	
5	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र का बाह्य सहायित अभिकरण से मूल्यांकन कराया जाएगा और निबंधों का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अध्यापकों/प्रवक्ताओं/आचार्यों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।	5	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन–वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र का बाह्य सहायित अभिकरण से मूल्यांकन कराया जाएगा और निबंधों का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अध्यापकों/प्रवक्ताओं/आचार्यों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।
6	शारीरिक दक्षता परीक्षण	पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 75 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 45 मिनट में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।	6	शारीरिक दक्षता परीक्षण	पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 75 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 45 मिनट में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।
			7		नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड इस परिशिष्ट के क्रम संख्या-1, 2 और 4 में यथा विहित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा यथा प्रकटित श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों की अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो क्रमांक-1 और 2 के कुल योग स्वरूप उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा, बोर्ड इस सूची को विभागाध्यक्ष को अग्रसारित कर देगा।

आज्ञा से,
कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।

Data-6-717 RPH-09 (Gnha Police)